



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-14032026-270952
CG-RJ-E-14032026-270952

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1265]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2026/फाल्गुन 22, 1947

No. 1265]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2026/PHALGUNA 22, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर-पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 13 मार्च, 2026

का.आ. 1322(अ).—केंद्रीय सरकार ने रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11) की धारा-2 के खण्ड (37क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लेखित राज्य में उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में यथा उल्लिखित परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

सारणी

| क्रम सं. | परियोजना का नाम | राज्य / संघ राज्य क्षेत्र |
|----------|---|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | बठिंडा से लालगढ़ (320 किमी) रेलवे लाईन के दोहरीकरण का कार्य | पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान |

[फा.सं. उपरे /मुख्यालय /एस एण्ड सी /443599200 भाग-25]

राजीव श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**[North Western Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

Jaipur, the 13th March, 2026

S.O. 1322(E).— In exercise of the powers conferred by clause 37 A of section -2 of the Railways Act 1989, the Central Government hereby notifies the following projects as Special Railway Project as mentioned in column (2) of the table with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

| SI No. | Name of Project | State/UT |
|---------------|---|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Doubling between Bathinda to Lalgarh (320.170 km) | Punjab, Haryana and Rajasthan |

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol. XXV]

RAJEEV SHRIVASTAVA, Chief Administrative Officer (Const.)